भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *371

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

मिनरल वॉटर तथा सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग संयत्र

***371. श्री गोपाल शेट्टी:**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत मिनरल वॉटर तथा सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग संयंत्रों की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भूजल बोर्ड अथवा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा उनमें से कितने संयंत्रों को अनुमति प्रदान की गई है तथा इन सयंत्रों द्वारा कितने भूजल का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या भूजल उन्हें नि:शुल्क प्रदान किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा जल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को रोकने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का उनके वाणिज्यिक उपयोग के दृष्टिगत उनकी दरें तय करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेंद्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री गोपाल शेट्टी सांसद द्वारा "मिनरल वॉटर तथा सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग संयत्र" के विषय में पूछे गए दिनांक 18.07.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *371 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार , देश में पैकेज्ड पेयज , मिनरल वॉटर तथा कॉर्बोनेटेड बेव इकाइयों/बॉटलिंग संयंत्रों के लिए जारी लाइसेंस का राज्य-वार ब्योरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों (अर्थात 01.04.2016 से 31.03.2019 तक) के दौरान केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा भूजल निकासी की मात्रा के साथ-साथ मिनरल वॉटर, पैकेज्ड पेयजल, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग संयंत्रों तथा बेविरेज उद्योगों को प्रदान किए अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक-II** पर दी गई है।

(ग) से (ङ) देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से "पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986" की धारा 3 (3) के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। सीजीडब्ल्यूए 23 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों के जरिए भूजल निकासी के लिए अनापत्ति प्रम -पत्र प्रदान करता है। शेष राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश अपने स्वयं के अधिनियमों, अधिसूचनाओं या सरकारी आदेशों के माध्यम से भूजल विकास को विनियमित कर रहे हैं। इसके अलावा, इन राज्यों में सीजीडब्ल्यू ने प्रत्येक राजस्व जिले के जिला मजिस्ट्रेट/ जिला कलेक्टर तथा सीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय निदेशकों को भी प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, जिनके पास अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों के अनुपालन को लागू करने का अधिकार है।

भूजल विनियमन मार्ग-निर्देशों के अनुसार, इन उद्योगों द्वारा सीजीडब्ल्यूए द्वारा जल निकासी की अनुमोदित मात्रा के अनुरूप ही भूजल पुनर्भरण के उपाय करने को आदेशात्मक बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूए ने राजपत्रित अधिसूचना सांविधिक आदेश 6140(अ) दिनांक 12.12.2018 द्वारा अपने नवीनतम जल विनियमन (डब्ल्यूसीएफ) मार्ग-निर्देश में जल संरक्षण शुल्क लगाया जाना प्रस्तावित किया है। तथापि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपने दिनांक 03.01.2019 के आदेश द्वारा इन अधिसूचित मार्ग-निर्देशों को लागू नहीं करने का निदेश दिया है।

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए मॉडल भवन उपनियम, 2016 जारी किए गए हैं जिसमें 'वर्षा जल संचयन' पर

एक अध्याय शामिल है। इस अध्याय के उपबंध सभी इमारतों पर लागू होते हैं। 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्षा जल संचयन के प्रावधान अपना लिए हैं। वर्षा जल संचयन नीति का कार्यान्वयन, राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय/शहरी विकास प्राधिकरण के कार्य-क्षेत्र में आता है।

इसके अतिरिक्त, जल उपयोग की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए केन्द्र सरकार अन्य बातों के साथ-साथ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, कमान क्षेत्र विकास कार्य, प्रतिभागी सिंचाई प्रबंधन, जल पुनर्चक्रण तथा पुनःप्रयोग को बढ़ावा दे रही है।

इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधान मंत्री ने 08.06.2019 को जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के महत्व के बारे में सभी सरपंचों को एक पत्र लिखा है और उनसे जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने के लिए सभी उचित उपायों को अपनाने का आह्वान किया है।

दिनांक 11.6.2019 को हुई एक बैठक में जल शक्ति मंत्री द्वारा भी संबंधित मंत्रियों और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ स्थायी जल प्रबंधन के मुद्दे पर चर्चा की गई।

सचिव (ज.सं.न.वि. और गं.सं.) की अध्यक्षता में 'मानसून वर्षा के इष्टतम उपयोग के लिए जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों' के विषय को आगे बढ़ाने के लिए एक 'अंतर मंत्रालयी समिति' का गठन किया गया है, जो समय-समय पर जल संरक्षण मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठक करती हैं। इस समिति में विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी शामिल हैं। इस अंतर मंत्रालयी समिति की बैठक 01.05.2019 को आयोजित की गई थी।

मंत्रिमंडल सचिव ने भी 21.05.2019 को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ जल प्रबंधन के मुद्दे पर चर्चा की।

*****

अनुलग्नक I

"मिनरल वॉटर तथा सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग संयत्र" विषय पर दिनांक 18.07.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 371 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

देश में मिनरल वॉटर, पैकेज्ड पेयजल तथा कॉर्बोनेटेड बेविरेज इकाइयों/बॉटलिंग संयंत्रों के लिए एफएसएसएआई द्वारा जारी लाइसेंसों की संख्या के राज्य-वार आंकड़े

राज्य	राज्य लाइसेंस	केन्द्रीय लाइसेंस
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	11	1
आंध्र प्रदेश	699	155
अरुणाचल प्रदेश	14	3
असम	574	894
बिहार	176	46
चंडीगढ़	14	2
छत्तीसगढ़	210	12
दादरा और नगर हवेली	7	6
दमन और दीव	12	11
दिल्ली	851	226
गोवा	72	17
गुजरात	1406	498
हरियाणा	455	385
हिमाचल प्रदेश	105	185
जम्मू और कश्मीर	115	70
झारखंड	54	39
कर्नाटक	1699	300
केरल	1160	226
लक्षद्वीप	2	0
मध्य प्रदेश	597	140
महाराष्ट्र	1882	1438
मणिपुर	49	3
मेघालय	10	6
मिजोरम	22	0
ओड़िशा	318	44
पुदुच्चेरी	53	2
पंजाब	688	238
राजस्थान	694	153
सिक्किम	1	0
तमिलनाडु	3299	486
तेलंगाना	488	137
त्रिपुरा	8	21
उत्तर प्रदेश	883	482
उत्तराखंड	257	185
पश्चिम बंगाल	722	627
कुल योग	**17607**	**7047**

अनुलग्नक II

"मिनरल वॉटर तथा सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग संयत्र" विषय पर दिनांक 18.07.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 371 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों अर्थात (01.04.2016 से 31.03.2019 तक) के दौरान केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा मिनरल वॉटर, पैकेज्ड पेयजल, सॉफ्ट ड्रिंक तथा बेवरेज इकाइयों को प्रदान किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का ब्यौरा

राज्य	मिनिरल वॉटर उद्योग		पैकेज्ड पेयजल		सॉफ्ट ड्रिंक उद्योग		बेवरेज		कुल	
	अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की संख्या	मात्रा घन मीटर प्रति वर्ष	अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की संख्या	मात्रा घन मीटर प्रति वर्ष	अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की संख्या	मात्रा घन मीटर प्रति वर्ष	अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की संख्या	मात्रा घन मीटर प्रति वर्ष	अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की संख्या	मात्रा घन मीटर प्रति वर्ष
अरुणाचल प्रदेश			5	43160					5	43160
असम			47	623475			3	158865	50	782340
बिहार	3	6520	5	19536			5	136532	13	162588
छत्तीसगढ	1	10800	15	107736.25			2	277650	18	396186.25
गुजरात			1	8112			1	276000	2	284112
हरियाणा							3	306120	3	306120
झारखंड			2	14700					2	14700
मध्य प्रदेश			4	72509			2	162300	6	234809
महाराष्ट्र	2	29850	19	152935	1	58245	4	95312	26	336342
मणिपुर			1	8060					1	8060
मेघालय			3	31760					3	31760
नागालैंड			1	5000					1	5000
ओड़िशा			6	62696.5			34	364687.5	40	427384
पंजाब			1	105000	1	18000	4	721660	6	844660
राजस्थान			1	48000			1	520410	2	568410
त्रिपुरा			4	30195					4	30195
उत्तर प्रदेश	2	14300	21	522887			25	4149137	48	4686324
उत्तराखंड			2	43722	1	414000	1	80000	4	537722
कुल	**8**	**61470**	**138**	**1899483.75**	**3**	**490245**	**85**	**7248674**	**234**	**9699872.25**